

व्यापार्य (सहायक) कलक्टर काफ़े शु. मन्सूर

दस्ता

सुवा बकान् कादू

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	14 <sup>2</sup> / <sub>2023</sub>	<p>पत्रावली नपसुल / वाडी व प्रतिवाडीगण अडुपस्थित / वाडी व प्रतिवाडीगण अडुप कुरैजात पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति पूर्व में पेश नहीं की गई है।</p> <p>कृतः वाड मुनाबित कुरैजात रिपोर्ट के आधार पर डिक्री किया जाता है। निर्णय व डिक्री सूधक से लि लब्ध हो गये। कुरैजात रिपोर्ट निर्णय व डिक्री के अन्तिम अंग रहेंगे।</p> <p>पत्रावली कैसल सुपाए दाखिल इफ्तार हो</p> <p><b>सहायक कलक्टर</b> <b>आफ़े शु. मन्सूर</b></p>	

न्यायालय :- सहायक कलेक्टर आमेर,  
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा

आर.ए.एस.



नियमित वाद संख्या -207/2016


वाद प्रस्तुति दिनांक -29.07.2016

1. सुवा लाल यादव पुत्र श्री सुण्डा, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. तुलसी राम पुत्र श्री सुण्डा, जाति यादव निवासी- ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. श्रीमति भगौती देवी पत्नी श्री सुण्डा, जाति यादव, निवासी ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. सन्तोष पत्नी जगदीश पुत्री सुण्डा, निवासी रुण्डल आमेर जिला जयपुर।
5. रुडी पत्नी राजकुमार पुत्री सुण्डा, जाति अहीर निवासी रुण्डल आमेर।
6. हंसा पत्नी हीरालाल पुत्री सुण्डा जाति अहीर निवासी चकवासडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..... वादीगण

**बनाम**

1. बोदू पुत्र नारायण, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर। (मृतक)  
1/1 कालूराम पुत्र स्व. बोदू  
1/2 बाबुलाल पुत्र स्व. बोदू  
1/3 श्रवण कुमार पुत्र स्व. बोदू
2. रिछपाल पुत्र देवी सहाय, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. बद्रीराम पुत्र देवी सहाय, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. सांवर पुत्र देवी सहाय, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. जगदीश पुत्र देवी सहाय, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. रामेश्वर पुत्र मांगू, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर। (मृतक)  
6/1 गोपाल पुत्र स्व. रामेश्वर  
6/2 मालीराम पुत्र स्व. रामेश्वर  
6/3 लल्लूराम पुत्र स्व. रामेश्वर  
6/4 शंकर पुत्र स्व. रामेश्वर

  
सहायक कलेक्टर  
आमेर म. जयपुर

7. काना पुत्र मांगू, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. रामू पुत्र स्व. नारायण, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955  
उपस्थिति :- वादी व प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं



दिनांक 14.02.2023

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वाद वाके राजस्व ग्राम गुढा सर्जन तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 104 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 105 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 114 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 158 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 664 रकबा 0.700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 696 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 703 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 722 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 94 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 95 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 96 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 110 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 111 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 112 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 113 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 154 रकबा 1.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 166 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 167 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 164 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 178 रकबा 0.3100 हैक्टेयर कुल किता 21 कुल रकबा 4.58 हैक्टेयर से संबन्धित है। वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण के पिता सुण्डा पुत्र नारायण का अविभाजित हिस्सा 1/2 है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण से स्व. सुण्डा के देहावसान पश्चात् से अनेक बार यह आग्रह किया उपरोक्त शामिल आराजी भूमि का विभाजन कर लेवे तथा हाल ही दिनांक 20.07.2016 को वादीगण ने पुनः प्रतिवादीगण से व्यक्तिशः मिलकर यह आग्रह किया उपरोक्त आराजी भूमि का विभाजन करने से ना केवल साफ इंकार कर दिया बल्कि वादीगण को सर्वथा गैर कानूनी व अवैधानिक रूप से धमकियां दी कि वे उपरोक्त आराजी भूमि का विभाजन किये बिना ही अपने इच्छानुसार निर्माण कार्य भूमि पर करवायेगे तथा किसी भी दीगर व्यक्ति संस्था को अच्छे भावों में बिना विभाजन किये बेचान करेंगे वादीगण को भी उनके साथ बेचान करना हो तो वे कर लेवे वरना वे अपनी सुविधानुसार कोई भी भूमि का अच्छे भावों में बेचान करेंगे प्रतिवादीगण को उपरोक्त अवैधानिकता करने का कतई अधिकार व हक नहीं है तथा वादीगण उपरोक्त आराजी भूमि का

विभाजन करवाने के एवं बिना विभाजन के प्रतिवादीगण के द्वारा किये जा रहे मनमाने बेचान व हस्तांतरण को व बिना वादीगण के विभाजन किये मनमानी भूमि पर कोई निर्माण व अतिक्रमण रूकवाने के पूर्णतया वैधानिक अधिकारी है।

वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 एवं डिक्रीत फरमाये जावे तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के मध्य ग्राम गुढा सर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित उपरोक्त वर्णित शामिलती आराजी कृषि भूमि का जो वाद पत्र का चरण संख्या 2 के अंकित है, सम्पूर्ण शामिलती सम्पतियों का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 सभी पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि की पत्थरगढीस करवायी जावे तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को उनके आने वाले हिस्से के अनुसार बतौर खातेदार व स्वामी पूर्णतया काबिज करवाया जावे। वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 निर्णित एवं डिक्री फरमाये जावे तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 के मध्य ग्राम शामिलती कृषि भूमि का सभी पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करवाया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

पत्रावली कैम्प कोर्ट जालसू में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण को सुना गया। मूल वाद मे बंटवारे की रिलीफ चाही गई है अतः वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर वाद दिनांक 15.05.2018 को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया। तदनुसार तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया गया कि वे राज० टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रिवेन्यू) रूल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए ग्राम गुढा सर्जन तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित भूमि भूमि खसरा नंबर 104 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 105 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नंबर 114 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 158 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 664 रकबा 0.700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 696 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 703 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 722 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 94 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 95 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 96 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 110 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 111 रकबा 0.3700 हैक्टेयर, खसरा नंबर 112 रकबा 0.4000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 113 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 154 रकबा 1.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 166 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 167 रकबा 0.3600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 164 रकबा 0.2600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 178 रकबा 0.3100 हैक्टेयर कुल कित्ता 21 कुल रकबा 4.58 हैक्टेयर भूमि का उभयपक्षों की उपस्थिति में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा कर कुरैजात रिपोर्ट भिजवाये।



सहायक फलक्टर  
आमेर म. जयपुर

दिनांक 02/09/2022 को कुरैजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्ष को कुरैजात रिपोर्ट पर बहस करने हेतु आदेश दिये गये। लगभग आठ पेशीयों के बावजूद भी उभयपक्ष द्वारा कुरैजात रिपोर्ट पर बहस नहीं की गई। आज भी उभयपक्ष अनुपस्थित है। उभयपक्ष द्वारा कुरैजात रिपोर्ट पर बहस नहीं करने पर मुताबिक कुरैजात रिपोर्ट गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है। तहसीलदार आमेर जयपुर ने अपने कुरैजात प्रस्ताव में अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 बोंदू व प्रतिवादी संख्या 6 रामेश्वर दोनों प्रतिवादीगण की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान का नाम राजरव रिक्कोर्ड में दर्ज है तथा मुताबिक राजरव रिक्कोर्ड जमाबंदी खाता संख्या 251 म. व. डी. का पिता सुण्डा पुत्र नारायण का नाम अंकित है तथा प्रस्तावित खसरा नंबर 111/2 व 112/1 का नाम प्रस्तावित किया गया। अतः मुताबिक तहसीलदार आमेर की रिपोर्ट के आधार पर उक्त वारिसान को रिक्कोर्ड पर लिया जाता है।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा कुरैजात पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति पूर्व में पेश नहीं की गई है। वादी व प्रतिवादीगण को कई अवसर दिये गये। अतः मुताबिक तहसीलदार आमेर जयपुर से प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है—

1. सुवालाल, तुलसीराम, कडी देवी, सन्ती देवी, हसा देवी, पिता सुण्डा भगवती देवी पत्नी सुण्डा जाति अहीर सा० देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 178/1 रकबा 0.2850 हैक्टेयर, खसरा नंबर 111/2 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 112/1 रकबा 0.095 हैक्टेयर, खसरा नंबर 154/3 रकबा 0.335 हैक्टेयर, खसरा नंबर 166/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 167/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 94 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 722/1 रकबा 0.075 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. कालूराम, बाबूलाल, श्रवण कुमार पिता बोंदू अहीर सा० देह खातेदार राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूं हिस्सा कालूराम, श्रवण कुमार का खसरा नंबर 164 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 178/2 रकबा 0.025 हैक्टेयर, खसरा नंबर 110 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 111/1 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 113 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 154/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 154/2 रकबा 0.235 हैक्टेयर, खसरा नंबर 166/2 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 167/2 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 95 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 114/1 रकबा 0.045 हैक्टेयर, खसरा नंबर 722/2 रकबा 0.0750 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. रामू पुत्र नारायण जाति अहीर सा० देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 112/2 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 154/4 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 166/3 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 167/3 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 96 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 696/2 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा




सहायक कलेक्टर  
आमेर म. जयपुर

नंबर 722/3 रकबा 0.025 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 1.065 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

2. सुवालाल, तुलसीराम, रूडी देवी, सन्ती देवी, हंसा देवी पिता सुण्डा, भगवती देवी पत्नी सुण्डा हि0 1/3 रामू पुत्र नारायण हि0 1/3 बिना रहन कालूराम, बाबूलाल, श्रवण कुमार पिता बौदू हि0 1/3 जाति समस्त अहीर सा0 देह खातेदार राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूं हि0 कालूराम, श्रवण कुमार का शेष बिना रहन खसरा नंबर 112/3 रकबा 0.045 हैक्टेयर, खसरा नंबर 154/5 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 114/2 रकबा 0.005 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. जगदीश, बट्टी, रिछपाल, सांवर पिता देवी सहाय हि0 1/2 राहिन सिडीकेंट बैंक शाखा चौमूं काना पुत्र मांगू हि0 1/4 राहिन एचडीएफसी बैंक शाखा चौमूं गोपाल, मालीराम पिता रामेश्वर हि0 1/8 बिना रहन, लल्लूराम पिता रामेश्वर हि0 1/6 राहिन एसबीआई चौमूं शंकर पिता रामेश्वर हि0 1/16 राहिन यूको बैंक शाखा चौमूं समस्त जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 104 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 664 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 696/1 रकबा 0.225 हैक्टेयर, खसरा नंबर 703 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
4. यथावत जमाबंदी खाता नंबर 251 (संवत् 2073-2076) खसरा नंबर 105 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 158 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 696/3 रकबा 0.015 हैक्टेयर, खसरा नंबर 722/4 रकबा 0.015 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफतर हो।



  
सहायक कलेक्टर  
आमेर मु0 जयपुर

## अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जादा दीवानी)  
अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर  
पीठासीन अधिकारी सुनील शर्मा (आर.ए.एस)



नियमित वाद संख्या -207/2016

वाद प्रस्तुति दिनांक -29.07.2016

1. सुवा लाल यादव पुत्र श्री सुण्डा, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. तुलसी राम पुत्र श्री सुण्डा, जाति यादव निवासी- ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. श्रीमति भगौती देवी पत्नी श्री सुण्डा, जाति यादव, निवासी ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
4. सन्तोष पत्नी जगदीश पुत्री सुण्डा, निवासी रुण्डल आमेर जिला जयपुर।
5. रुडी पत्नी राजकुमार पुत्री सुण्डा, जाति अहीर निवासी रुण्डल आमेर।
6. हंसा पत्नी हीरालाल पुत्री सुण्डा जाति अहीर निवासी चकवासडी, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

..... वादीगण

### बनाम

1. बोदू पुत्र नारायण, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर। (मृतक)  
1/1 कालूराम पुत्र स्व. बोदू  
1/2 बाबुलाल पुत्र स्व. बोदू  
1/3 श्रवण कुमार पुत्र स्व. बोदू
2. रिछपाल पुत्र देवी सहाय, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
3. बंदीराम पुत्र देवी सहाय, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर।
4. सांवर पुत्र देवी सहाय, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
5. जगदीश पुत्र देवी सहाय, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. रामेश्वर पुत्र मांगू, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सुर्जन, पटवार हल्का जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर। (मृतक)  
6/1 गोपाल पुत्र स्व. रामेश्वर  
6/2 मालीराम पुत्र स्व. रामेश्वर  
6/3 लल्लूराम पुत्र स्व. रामेश्वर  
6/4 शंकर पुत्र स्व. रामेश्वर

सहायक कलेक्टर  
आमेर मु. जयपुर

7. काना पुत्र मांगू, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सुरजन, पटवार हल्का  
जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. रामू पुत्र स्व. नारायण, जाति यादव, निवासी- ग्राम गुढा सुरजन, पटवार हल्का  
जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.....प्रतिवादी

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा  
अंतर्गत धारा- 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 14.02.2023



मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

1. सुवालाल, तुलसीराम, कडी देवी, सन्ती देवी, हंसा देवी, पिता सुण्डा, भगवती देवी पत्नी सुण्डा जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 178/1 रकबा 0.2850 हैक्टेयर, खसरा नंबर 111/2 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 112/1 रकबा 0.095 हैक्टेयर, खसरा नंबर 154/3 रकबा 0.335 हैक्टेयर, खसरा नंबर 166/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 167/1 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 94 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 722/1 रकबा 0.075 हैक्टेयर कुल कित्ता 8 कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. कालूराम, बाबूलाल, श्रवण कुमार पिता बोदू अहीर सा0 देह खातेदार राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूं हिस्सा कालूराम, श्रवण कुमार का खसरा नंबर 164 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 178/2 रकबा 0.025 हैक्टेयर, खसरा नंबर 110 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नंबर 111/1 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 113 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 154/1 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 154/2 रकबा 0.235 हैक्टेयर, खसरा नंबर 166/2 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 167/2 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 95 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 114/1 रकबा 0.045 हैक्टेयर, खसरा नंबर 722/2 रकबा 0.0750 हैक्टेयर कुल कित्ता 12 कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. रामू पुत्र नारायण जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 112/2 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नंबर 154/4 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नंबर 166/3 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 167/3 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 96 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नंबर 696/2 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नंबर 722/3 रकबा 0.025 हैक्टेयर कुल कित्ता 7 कुल रकबा 1.065 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर  
आमेर म्. जयपुर

4. सुवालाल, तुलसीराम, रूडी देवी, सन्ती देवी, हंसा देवी पिता सुण्डा, भगवती देवी पत्नी सुण्डा हि0 1/3 रामू पुत्र नारायण हि0 1/3 बिना रहन कालूराम, बाबूलाल, श्रवण कुमार पिता बोदू हि0 1/3 जाति समस्त अहीर सा0 देह खातेदार राहिन यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चौमूं हि0 कालूराम, श्रवण कुमार का शेष बिना रहन खसरा नंबर 112/3 रकबा 0.045 हैक्टेयर, खसरा नंबर 154/5 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 114/2 रकबा 0.005 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
5. जगदीश, बद्री, रिछपाल, सांवर पिता देवी सहाय हि0 1/2 राहिन सिडीकेट बैंक शाखा चौमूं काना पुत्र मांगू हि0 1/4 राहिन एचडीएफसी बैंक शाखा चौमूं गोपाल, मालीराम पिता रामेश्वर हि0 1/8 बिना रहन, लल्लूराम पिता रामेश्वर हि0 1/6 राहिन एसबीआई चौमूं शंकर पिता रामेश्वर हि0 1/16 राहिन यूको बैंक शाखा चौमूं समस्त जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिरसे खसरा नंबर 104 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 664 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 696/1 रकबा 0.225 हैक्टेयर, खसरा नंबर 703 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
6. यथावत जमाबंदी खाता नंबर 251 (संवत् 2073-2076) खसरा नंबर 105 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नंबर 158 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 160 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नंबर 696/3 रकबा 0.015 हैक्टेयर, खसरा नंबर 722/4 रकबा 0.015 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिरसे में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगे। तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे।

बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.02.2023 को जारी किया।

दस्तखत ----

ओहदा ----



सहायक कलेक्टर  
आमेर मु0 जयपुर

मुददाई	रुपये	पैसे	मुददायलह	रुपये	पैसे
रदाम्य अर्जी दावा	2	रुपये	रदाम्य अर्जी दावा	2	रुपये
रदाम्य वकालतनामा	2	रुपये	रदाम्य वकालतनामा	2	रुपये
रदाम्य वजाह सवूत			रदाम्य वजाह सवूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्ची मवाहन			खर्ची मवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
ववत इजराय हुक्मानामा			ववत इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4	रुपये	मुतफरित	4	रुपये
मोजान			मोजान		